

पर्वी डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 157 / 2025

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र महंगा सिंह जाति जटसिख (नामधारी) निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम्

1. सर्वजीत सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति जटसिख (नामधारी) निवासीयान ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2. महंगा सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति जटसिख (नामधारी) निवासीयान ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील इन्द्रजीत सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 13 जीजीआर के खाता सं० 86/46, चकनं० 13 जीजीआर के खाता सं० 88/230, इसी चक के खाता सं० 216/170, चकनं० 7 एस.आर डबल्यू के खाता सं० 53/48, चकनं० 6 एस.आर डबल्यू के खाता सं० 93/83 में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 13 जीजीआर के खाता सं० 86/46, चकनं० 13 जीजीआर के खाता सं० 88/230, इसी चक के खाता सं० 216/170, चकनं० 7 एस.आर डबल्यू के खाता सं० 53/48, चकनं० 6 एस.आर डबल्यू के खाता सं० 93/83 में प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्वी डिक्री आज दिनांक 29/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजस्व उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी)
सत्यनारायण आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।